न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/7/18 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी श्री अशोक जादव उपस्थित। प्रतिवादी की तामील प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित होकर आपसी रजामंदी से राजीनामा होना जाहिर किया। वाद पत्र की चरण संख्या-③ के अनुसार काबिज काश्त है उसी अनुसार आपसी बंटवारा चाहते है राजीनामा तस्दीक किया गया पत्रावली में स्थित रिकार्ड का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री [illegible] से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] के [illegible] हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी	मेघराज ओंकारलाल इन्द्रारामा (हस्ताक्षर) (अशोक जादव) एडवोकेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ,छोटीसादडी

पीठासीन अधिकारी – दिनेश कुमार मण्डोवरा , आर.ए.एस.

श्री मेघराज पिता राजाराम जाति– पाटीदार आयु– वयस्क निवासी– जीवनपुरा तहसील–छोटीसादडी जिला– प्रतापगढ – राजस्थान ——— वादी

—— बनाम ——

1–श्री राजाराम पिता नाथु जाति– कुलमी –पाटीदार आयु–वयस्क निवासी– जीवनपुरा तहसील–छोटीसादडी जिला– प्रतापगढ – राज0

2–श्री गोपाल पिता राजाराम जाति– कुलमी –पाटीदार आयु–वयस्क निवासी– जीवनपुरा तहसील– छोटीसादडी जिला– प्रतापगढ – राज0

3–श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय ——छोटीसादडी तह0छोटीसादडी जिला– प्रतापगढ – राज0

——प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद घोषणा एवं बॅटवारा आराजियात

मुकदमा 56 /2018

निर्णय दिनाक 24–7–2018

वादीगण की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया गया कि मौजा– सेमरथली पह0 सेमरथली में खाता संख्या 500 में आराजी नम्बर 436 रकबा 0–38 है0 , आराजी नम्बर 714 रकबा 0–85 है0 , आराजी नम्बर 716 रकबा 0–36 है0 कुल किता– 3 कुल रकबा 1–59 है0 स्थित है , जो राजाराम पिता नाथु कुलमी पाटीदार सा0 जीवनपुरा खातेदार के नाम दर्ज है ! तथा एवं इसी प्रकार मौजा– जीवनपुरा पह0 सेमरथली में खाता संख्या 26 में आराजी नम्बर 152 रकबा 0–46 है0 , आराजी नम्बर 154 रकबा 0–29 है0 , आराजी नम्बर 155 रकबा 1–12 है0 , आराजी नम्बर 242 रकबा 0–24 है0 , कुल किता– 3 कुल रकबा 2–11 है0होकर श्री गोपाल पिता राजाराम कुलमी सा0 देह खातेदार के नाम पर स्थित है ! व मौजा– जीवनपुरा पह0 सेमरथली में खाता संख्या 47 में आराजी नम्बर 303 रकबा 0–23 है0 , आराजी नम्बर 371 रकबा 0–17 है0 , आराजी नम्बर 1296 रकबा 0–10 है0 , कुल किता– 3 कुल रकबा 0–50 है0 होकर श्री राजाराम पिता नाथु पाटीदार सा0 देह खातेदार के नाम पर स्थित हे ! तथा इसी प्रकार माज– जीवनपुरा पह0 सेमरथली स्थित खाता संख्या 49 में आराजी नम्बर 241 रकबा 0–08 है0 , आराजी नम्बर 267/595 रकबा 0–40 है0 , आराजी नम्बर 268/596 रकबा 0–29 है0 , आराजी नम्बर 271/597 रकबा 0–08 है0 , कुल किता– 04 कुल रकबा 0–85 है0 स्थित होकर श्री राजाराम पिता नाथु कुलमी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड है !

श्री मेघराज -- बनाम -- राजाराम वगैराह

-वादी -- प्रतिवादीगण

तथा मौजा- जीवनपुरा पह0 सेमरथली में खाता संख्या 122 में आराजी नम्बर 147 रकबा 0-65 है0 , आ नं 246 रकबा 0-21 है0 आ नं 304 रकबा 0-24 है0 आ नं 305 रकबा 0-22 है0 , आ नं 311 रकबा 0-21 है0 , आ नं 316 रकबा 0-35 है0 , आ नं 317 रकबा 0-10 है0 , आ नं 355 रकबा 0-22 है0 , आ नं 356/2498 रकबा 0-27 है0 आ नं 368 रकबा 0-82 है0 आ नं 372 रकबा 0-21 है0 आ नं 1297 रकबा 0-46 है0 , कुल किता- 12 कुल रकबा 3-96 है0 स्थित होकर श्री राजाराम पिता नाथु कुलमी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड है ! उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं अलग-अलग खातेदारी में स्थित है ! सिबूत में जमाबन्दी की नकलें पेश की गई है ! उक्त आराजियात आगे वाद में वादग्रस्त आराजियात के नाम से जानी जावेगी ! वादी ने उक्त आराजियात को राजस्व रेकॉर्ड में अपने- अपने नाम पर बॅटवारा कर अलग -अलग खातेदारी में अन्कन कराने के लिए प्रतिवादीगणो को कई बार कहा तो उन्होने कहा कि कोर्ट से तुम तुम्हारे करवाते रहो ! जिस कारण उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है ! तथा वादी द्वारा उक्त वाद-पत्र न्यायालय में वास्ते बॅटवारा एवं घोषणा का पेश किया गया है !

2- यह कि उक्त वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिस जारी किये गये तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 2 तक ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर यह जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने -अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज होकर वाद-पत्र की कलम नं-3 के अनुसार काश्त कर रहे है एवं पक्षकारान् ने आपसी सहमति से राजीनामा चाहा गया है जो तस्दीक किया गया ! तथा शेष अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ! व वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये राजीनामा कर यह जाहिर किया कि वाद -पत्र की कलम नं-3 के अनुसार वाद -घोषणा का स्वीकार किया जावे तथा राजस्व रेकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगणों के नाम अमल दरामद किये जावे !

उपखण्ड अधिकारी
कोटपुतली